भारत सरकार राज्य सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं. 689

दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीडीपी में कृषि–निर्यातों का योगदान

689 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में कृषि–निर्यातों से वार्षिक तौर पर कितनी राशि उत्पन्न हुई है; तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि–निर्यातों का कुल कितना योगदान रहा है, तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों में सबसे अधिक निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद कौन–कौन से है;

(घ) क्या विगत पांच वर्षों में कुल कृषि निर्यात में कमी आई है; और

(ड.) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या–क्या कदम उठाएं जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): गतः पांच वर्षों के दौरान भारत के प्रधान कृषि वस्तु समूह के कृषि निर्यात के मूल्य और मौजूदा कीमतों पर हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके हिस्से का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	भारत के कृषि – निर्यात का मूल्य (करोड़ रु. में)	कृषि–निर्यात में % वृद्धि	मौजूदा कीमत पर जीडीपी (रु. करोड़ में)	जीडीपी में कृषि – निर्यात का हिस्सा
2016-17	225,901	--	15,391,669	1.5
2017-18	250,648	11.0	17,090,042	1.5
2018-19	273,745	9.2	18,886,957	1.4
2019-20	252,297	-7.8	20,351,013	1.2
2020-21	309,939	22.8	19,745,670	1.6

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता और सीएसओ, एमओएसपीआई

गत पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रु. से अधिक निर्यात वाले कृषि उत्पादों का ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है। पिछले वर्ष हमारे कृषि निर्यात में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.6 प्रतिशत हिस्सा (गत पांच वर्षों में वृद्धि और हिस्से में अधिकतम) है।

(ङ.): सरकार ने कृषि–निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसेः

(i) भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए व्यापक "कृषि निर्यात नीति" लागू की गई है। इक्कीस राज्य अर्थात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपूर, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और 2 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार ने राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी) गठित की गई है। 28 राज्यों और 4 संध राज्य क्षेत्रों ने अपनी कृषि निर्यात नीतियों के कार्यान्वयन हेतु नोडल अभिकरणों को नामित किया है। कृषि निर्यात नीति के भाग के रूप में 46 विशिष्ट उत्पाद जिलों के क्लस्टरों को निर्यात संवर्धन हेतु चिन्हित किया गया है। विभिन्न क्लस्टरों के क्लस्टर जिलों में 29 कलस्टर स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद विशिष्ट कार्य योजनाओं को भी तैयार किया गया है।

(ii) उत्पाद विशिष्ट निर्यात संवर्धन फोरम निर्यात–क्षमता वाले उत्पादों के निर्यात को बल प्रदान करते हैं तथा आपूर्ति श्रृंख्ला में अवरोधों को दूर करते है। कृषि एंव प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने अध्यक्ष, एपीडा की अध्यक्षता में निर्यात संवर्धन फोरम (ईपीएफ) गठित किए हैं और इसमें वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशालाओं और उत्पादों जैसे अंगूर, प्याज, आम, केला, अनार, पुष्पोत्पादन, चावल, दुग्ध उत्पादों और पोषक अनाज हेतु प्रत्येक उत्पाद के शीर्ष 10 अग्रणी निर्यातकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(iii) वियतनाम, संयुक्त राज्य अमरीका, बंगलादेश, नेपाल, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, चीन, जापान और अर्जेन्टीना में विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में 13 कृषि–प्रकोष्ठ सृजित किए गए है जो वास्तविक समय आधार पर जानकारी प्रदान करेंगे ताकि हमारे लिए भारतीय निर्यात में सुधार करना समर्थित हो सके।

(iv) इसके अलावा शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारत ने यूएसए को निर्यात किए जाने वाले शहद के लिए एनएमआर (न्यूक्लीयर मेग्नेटिक रेजोनेंस) टैस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है।

(v) किसानों, किसान–उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों से विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक फार्मर कनैक्ट पोर्टल गठित किया गया है। निर्यात बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए कलस्टरों में क्रेता–विक्रेता मीट (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। विदेश में भारतीय मिशनों के साथ निर्यात के अवसरों का आकलन करके लाभान्वित होने के लिए वीडियों कान्फ्रेंस के जरिए नियमित आधार पर विचार विमर्श किए गए हैं। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट क्रेता–विक्रेता मीट (बीएसएम) भी आयोजित की गई हैं।

(vi) खाद्य निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य स्कीमों अर्थात निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम इत्यादि के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, एपीडा, टी–बोर्ड, कॉफी बोर्ड और स्पाइसिज बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत भी खाद्य उत्पादों के निर्यातकों के लिए सहायता उपलब्ध है।

(vii) सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु माल–भाड़ा नुकसान को कम करने के लिए माल–भाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम– 'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन और विपणन सहायता' भी प्रारंभ की है।

(viii) व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए के उपयोग को बढ़ाने हेतु उद्गम प्रमाण पत्र के लिए कॉमन डिजीटल प्लेटफॉर्म शुरु किया गया है।

(ix) हमारे व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है।

(x) विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र राहत उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग विशेष रुप से एमएसएमई जिनका निर्यात में बड़ा हिस्सा है, का समर्थन करने के लिए कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पैकेज की घोषणा की गई।

*****

अनुलग्नक

03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 689 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

गत पांच वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रु. से अधिक का भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात

(करोड़ रु. में मूल्य)

क्र.सं.	वस्तुएं	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	समुद्री उत्पाद	39593.8	47646.4	47664.9	47618.1	44175.8
2	चावल (बासमती के अतिरिक्त)	16929.9	23437.2	21171.2	14400.3	35557.0
3	चावल–बासमती	21512.9	26870.7	32804.3	31026.3	29847.7
4	मसाले	19111.3	20084.9	23217.8	25642.0	29529.4
5	भैंस का मीट	26161.4	26035.2	25091.4	22661.1	23459.9
6	चीनी	8659.5	5225.6	9523.1	13981.6	20668.6
7	अपशिष्ट सहित कच्चा सूत	10907.3	12200.0	14627.5	7539.5	13968.4
8	खली	5410.1	7043.1	10557.5	5861.4	11688.6

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता